



महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखंड का कार्यालय  
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), UTTARAKHAND

पत्रांक: निर्माण लेखा / IFMS / 2020-21 / 156 - 164

दिनांक: 22/07/2020

सेवा में,

प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष,  
लोक निर्माण विभाग / ग्रामीण निर्माण विभाग / सिंचाई विभाग /  
लघु सिंचाई विभाग / प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना  
देहरादून, (उत्तराखंड)

विषय: निर्माण खण्डों से सम्बंधित प्रपत्रों का IFMS में प्रविष्टि करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निदेशक कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखंड, देहरादून के पत्र संख्या 1461/नि० को० / एफ०डी०सी०(2)/2020/033, दिनांक 21-07-2020 के क्रम में तथा दिनांक 17-07-2020 को आयोजित UKPFMS की समीक्षा बैठक एवं 21-07-2020 को निदेशक, कोषागार एवं पेंशन निदेशालय, उत्तराखंड, देहरादून में आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में निर्माण प्रखंडों से सम्बंधित विभिन्न प्रपत्रों में IFMS MODULE में प्रविष्टि सम्बंधित प्रखंडों के लेखाधिकारियों के निर्देशन में सम्बंधित कार्मिकों द्वारा अविलम्ब कराई जानी है।

कृपया उक्त कार्य को अविलम्ब प्रभावी ढंग से पूर्ण करने हेतु उचित दिशा निर्देश जारी करने का कष्ट करें ताकि IFMS के द्वारा मासिक लेखे के सभी फॉर्म उचित ढंग से जनरेट हो सकें। इस कार्य में किसी भी प्रकार की देरी के लिए निदेशक, कोषागार द्वारा खण्डों के भुगतान पर रोक लगाने की कार्यवाही भी की जा सकती है।

कृपया इसे उच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

भवदीय.

— sd —

उप महालेखाकार / लेखा  
दिनांक: 22/07/2020

पत्रांक: निर्माण लेखा / IFMS / 2020-21 / 158 - 164  
प्रतिलिपि:

1. निदेशक कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखंड, देहरादून को उनके पत्र दिनांक 21-07-2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- ✓ 2. डाटा मैनेजर को कार्यालय की वेबसाइट पर सभी निर्माण खण्डों के सूचनार्थ अपलोड करने हेतु प्रेषित।

22/07/2020  
वरि० लेखाधिकारी / मि०ले०